अपील सूचना अधिकार संख्या 31/2019(RCMS : 2019/00104) अवतार सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी डी–9, अम्बिका सिटी, पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.07.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अवतार सिंह सुधन स्वयं उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी के पिता श्री गुरचरण सिंह (सेवानिवृत आर.ए.एस.) दिनांक 09.07.2019 को न्यायालय में उपस्थित हुए और ऑर्डर शीट के हाशिये पर लिखित में प्रार्थना की है कि उन्होनें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2019 का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई, जो उसे प्राप्त हो चुकी है इसलिए वह अपने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.05.2019 पर अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। यदि इस प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2019 के द्वारा अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से दिनांक 20.12.2012 को शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, गंगानगर द्वारा दिनांक 30.01.2013, 07.06.2013, 18.02.2015 व 05.08.2016 को भेजी गई रिपोर्ट की नकल व इस प्रार्थना पत्र पर लिये गये निर्णय की प्रति एवं नये आर्म्स रूल्स 2016 के तहत उनके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर किये गये निर्णय की प्रतिलिपि चाही थी, जिसकी सूचना उन्हें प्राप्त न होने के कारण उनके द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की थी।

चूंकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2019 के द्वारा अति.जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से वांछित सूचना की प्रमाणित प्रति प्राप्त हो गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 03.05.2019 को प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर करने की प्रार्थना की है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अब अपीलार्थी अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से वांछित सूचना की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली है और अब इस प्रकरण में वह आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए अपील दिनांक 03.05.2019 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(सतर्कता), श्रीगंगानगर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर